भारतीय चाय बोर्ड

[स्रोत: बीएल](#)

भारतीय चाय बोर्ड ने रामसेशन समिति की प्रमुख सिफारिशों के आधार पर **भारत ऑक्शन मॉडल** के तहत देशव्यापी नीलामी नियमों में संशोधन किया है। इस पहल का उद्देश्य **मूल्य खोज (Price discovery)** को बेहतर बनाना और **चाय क्षेत्र में विक्रेताओं के हितों की सुरक्षा करना है।**

- **रामसेशन समिति की रिपोर्ट** चाय उद्योग में **मूल्य खोज और बाज़ार संरचना को बेहतर बनाने** से संबंधित है।
- **भारत ऑक्शन मॉडल** भारतीय चाय बोर्ड द्वारा शुरू किया गया एक **अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रणाली** है, जिसमें नीलामी शुरू होने से पहले बोली लगाई जाती है।

भारतीय चाय बोर्ड: परिचय

- **स्थापना:** इसकी **स्थापना 1953 में हुई थी** और इसका **मुख्यालय कोलकाता में है**। इसके पूरे **भारत में 17 कार्यालय** हैं।
  - **इसके लंदन, मास्को और दुबई** जैसे विदेशी कार्यालय भी हैं।
- **सांविधिक निकाय:** इसकी स्थापना **चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 के तहत** की गई थी।
- **नियामक प्राधिकरण:** यह **चाय उत्पादकों, निर्माताओं, निर्यातकों, चाय दलालों, नीलामी आयोजकों और गोदाम रखवालों** सहित विभिन्न संस्थाओं को **नियंत्रित** करता है।
- **प्रकार्य:** यह **बाज़ार सर्वेक्षण, विश्लेषण, पहचान, उपभोक्ता व्यवहार पर नज़र रखता है** तथा **आयातकों और निर्यातकों** को **प्रासंगिक और सटीक जानकारी प्रदान करता है।**

भारत में प्रमुख कृषि बोर्ड:

बोर्ड	अधिनियम के तहत गठित	मुख्यालय
चाय बोर्ड	चाय अधिनियम, 1953	कोलकाता
कॉफी बोर्ड	कॉफी अधिनियम, 1942	बैंगलोर
रबर बोर्ड	रबर अधिनियम, 1947	कोट्टायम, केरल
मसाला बोर्ड	मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986	कोच्चि, केरल
तंबाकू बोर्ड	तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975	गुंटूर, आंध्र प्रदेश
राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड	वैधानिक निकाय नहीं	निज़ामाबाद, तेलंगाना
मखाना बोर्ड	-	बिहार (प्रस्तावित)

और पढ़ें: [चाय उद्योग में सुधार की आवश्यकता](#)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/tea-board-of-india-1